स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन

717. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) इस मद के अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है और क्या सरकार इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से पेंशन हेतु आवेदन अभी भी मिल रहे हैं; यदि हां, तो इस प्रकार के आवेदन भविष्य में कब तक मिलते रहेंगे; और

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि कुछ लोगों ने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन प्राप्त की है, यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) राज्यवार, उन व्यक्तियों की संख्या का विवरण, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन (विधवाओं, आश्रित अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों सहित) स्वीकृत की गयी है, संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की अदायगी पर, होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 165.00 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष की देयताओं को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त होगी।

(ग) देर से आवेदन करने वालों के दावों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि आवेदक स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनके द्वारा भुगती गई यातनाओं के समर्थन में स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हों।

(घ) जी हां, श्रीमान। शिकायतें प्राप्त होती हैं, और जहां आवश्यक होता है जांच भी की जाती है। 1972 में योजना को लागू करने के बाद से 2867 मामलों में पेंशन निलंबित की गई हैं और 1313 मामलों में रद्द की गई हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	10905
2	अरूणाचल प्रदेश	0
3	असम	4325
4	बिहार	24453
5	गोवा	896
6	गुजरात	3541
7	हरियाणा	1608
8	हिमाचल प्रदेश	556
9	जम्मू और कश्मीर	1776
10	कर्णाटक	9899
11	केरल	2789
12	मध्य प्रदेश	3325
13	महाराष्ट्र	16374
14	मणिपुर	62
15	मेघालय	86
16	मिजोरम	44
17	नागालैंड	
18	उड़ीसा	4134
19	पंजाब	6780
20	राजस्थान	781
21	सिक्किम	00
22	तमिलनाडु	4056
23	त्रिपुरा	883

1	2	3
24	उत्तर प्रदेश	17851
25	पश्चिम बंगाल	22161
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
27	चंडीगढ़	88
28	दादर और नागर हवेली	0
29	दमण और द्वीव	33
30	दिल्ली	2013
31	लक्षद्वीप	0
32	पांडिचेरी	312
33	आई.एन.ए.	21874
	योग :	161568

Rising emoluments of Border Security Force personnel

718. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in peace time Border Security Force (BSF) performs to a great-extent the duties of army;

(b) whether Government are aware that BSF personnel especially sepoys etc. guarding borders are given salary and allowances which are much less than those paid to armed forces;

(c) whether Government propose to take any measures to raise the emoluments of sepoys in BSF; if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The duties of the Border Security Force are different from those of the Army. The skills and job requirements of BSF and Army being different, their salaries and allowances are not comparable.

(c) and (d) No, Sir, in view of th reasons given above.

Murder of C.G.H.S. doctor

719. CHOWDHRY HARI SINGH Will the Minister of HOME AFFAIR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recentl a dismembered body of a C.G.H.S Doctor, Dr. Surender Tanwar, Pandar Road Dispensary was found in a trav bag near Laxmibai Nagar residence;

(b) if so, whether the police investiga ed into the cause of this brutal murde

(c) steps taken by Government to avo such cold-blooded murders in the capit in future; and

(d) whether the culprits had been ap prohended and if not, the reaso therefor?

THE MINISTER OF STATE IN TH MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHI P. M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) A case u/s 365/302/201 IPC h been registered at Police Station Til Marg and Investigation has been initiate

(c) On receipt of information abo likely commission of crime possible leg actions including preventive measures a taken by the Police.

(d) No arrest could be effected so fa

Development activities in Delhi

720. SHRI V. GOPALSAMY: W the Minister of HOME AFFAIRS l pleased to state:

(a) how much funds have been allott for developmental activities, during tl last three years in each village/block Delhi;

(b) how much has been spent on ea village/block;

(c) what is the number of complain Delhi Administration received during tl same period;